

कार्यालय—कार्यपालन अभियंता(सं०/सं०)संभाग,
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बीजापुर
(छ०रा०वि०मं० की एक उत्तरदायी कम्पनी)

क्रमांक/कार्य०अभि०/(सं०/सं०)/स्था०/2881

बीजापुर, दिनांक :-

09/ 12 /2025

प्रति,

श्री महेश कुमार कुंजाम
पिता—स्व० श्री जी०आर० कुंजाम
पद—परिचारक श्रेणी—तीन(ला०),
ग्राम—कोण्डागॉव, पोस्ट—कोण्डागॉव, बस स्टेण्ड के पीछे,
शीतलापारा वार्ड, जिला—कोण्डागॉव (छ०ग०), पिन नं०—494229 ।

विषय :- कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में ।

संदर्भ :- (1) इस कार्यालय का पंजीकृत पत्र क्र० 3658 दिनांक 04.03.2022, पत्र क्र० 892 दिनांक 10.06.2022, पत्र क्र० 1223 दिनांक 15.07.2022, पत्र क्र० 1905 दिनांक 06.09.2023 ।
(2) कनिष्ठ अभियंता, वितरण केन्द्र—भैरमगढ़ का पत्र क्र० 08 दिनांक 05.04.2022, पत्र क्र० 91 दिनांक 07.06.2022, पत्र क्र० 153 दिनांक 07.07.2022, पत्र क्र० 236 दिनांक 05.09.2022, पत्र क्र० 288 दिनांक 11.10.2022, पत्र क्र० 374 दिनांक 08.12.2022, पत्र क्र० 412 दिनांक 04.01.2023, पत्र क्र० 464 दिनांक 15.02.2023, पत्र क्र० 165 दिनांक 14.07.2023, पत्र क्र० 241 दिनांक 28.08.2023, पत्र क्र० 394 दिनांक 15.12.2023, पत्र क्र० 521 दिनांक 05.03.2024, पत्र क्र० 03 दिनांक 02.04.2024, पत्र क्र० 92 दिनांक 04.06.2024, पत्र क्र० 139 दिनांक 01.07.2024, पत्र क्र० 188 दिनांक 05.08.2024, पत्र क्र० 257 दिनांक 01.10.2024, पत्र क्र० 321 दिनांक 04.11.2024, पत्र क्र० 362 दिनांक 03.12.2024, पत्र क्र० 407 दिनांक 01.01.2025, पत्र क्र० 447 दिनांक 04.02.2025, पत्र क्र० 499 दिनांक 03.03.2025, पत्र क्र० 54 दिनांक 30.04.2025, पत्र क्र० 172 दिनांक 01.07.2025, पत्र क्र० 176 दिनांक 10.07.2025 एवं पत्र क्र० 226 दिनांक 01.08.2025 ।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप दिनांक 03.02.2022 से बगैर कोई सूचना एवं लिखित जानकारी के अपने कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित हैं। उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से कार्य पर उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किया गया है, के उपरान्त भी आप आज तक कंपनी/मंडल के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुये हैं। जो कि कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही/उदासीनता को प्रकट करता है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 नियम 1(3) (नियम 7) के विपरीत है।

अतः इस पत्र प्रकाशन/सूचना द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप अनुपस्थित अवधि का समुचित कारण एवं दस्तावेज के साथ इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित हों, अन्यथा यह माना जावेगा कि आप कंपनी/मंडल में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके विरुद्ध एकपक्षी कार्यवाही कर सेवा से पृथक (बर्खास्त) करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यपालन अभियंता (सं०/सं०)संभाग
छ०स्टे०पॉ०डि०क०लिमि०, बीजापुर